

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधान आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX

कोचिन, COCHIN

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फा.सं.॥ /39/9/2015 -हिन्दी /के.उ.श्.

तारीख Date: 05.04.2017

सेवा में /To

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य, केन्द्रीय उत्पाद,सीमा शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालय, कोचिन-18 All the members of the O L I C, Central Excise & Customs Commissionerate, Cochin-18.

महोदय/महोदया/Sir /Madam,

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.03.2017 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।
Sub: Minutes of the quarterly Meeting of the Official Language Implementation Committee held on 28.03.2017.

केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोचिन -18 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.03.2017 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस के साथ संलग्न है | सभी संबन्धित अधिकारियों से अनुरोध है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें |

Kindly find enclosed a copy of the minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee (OLIC) of the Office of the Principal Commissioner of Central Excise & Customs, Cochin-18 held on **28.03.2017**. All concerned Officers are requested to take necessary action to ensure the compliance of the decision taken by the Committee.

भवदीय/Yours faithfully,

बी.जी.कृष्णन/B.G.KRISHNAN

उप आयुक्त(का.व सत.)/DEPUTY COMMISSIONER[P&V]

प्रतिलिपि /Copy to:

- महा निदेशक , निरीक्षण महा निदेशालाय , केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क , इन्द्र प्रस्थ एस्टेट , नई दिल्ली The Director General, Directorate of Inspection, Central Excise & Customs, "D" Block, I P Estate, New Delhi 2.
- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क, केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, कोचिन-18. The Chief Commissioner of Central Excise, C.R.Building, I.S.Press Road, Cochin-18
- 3 आयुक्त के निजी सचिव/ सभी अनुभाग प्रमुख/मण्डल कार्यालय P.S to Commissioner/ All Section Heads/ Divisions
- 4 सभी केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क आयुक्त All the Commissioner's of Central Excise & Customs.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर
CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX
कोचिन COCHIN

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई एस प्रेस रोड: कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोचिन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.03.2017 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त ।

Minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Excise, Customs and Service Tax, Cochin held on 28.03.2017

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोचिन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 28.03.2017 को पूर्वाहन 10.30 बजे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त श्री पुल्लेला नागेश्वरा राव की अध्यक्षता में आयुक्तालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई।

The quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Cochin was convened on 28.03.2017 at 10.30 am under the Chairmanship of Shri Pullela Nageswara Rao, Principal Commissioner of Central Excise, Customs and Service Tax, Cochin in the Conference Hall of the Commissionerate. The following members attended the meeting

attende	ed the meeting.		
क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	अनुभाग /मंडल
Sl.No.	Name of the Officer	Designation	Section/Division
1	श्री अमरनाथ केसरी	संयुक्त आयुक्त (का.व सत.)	म्ख्यालय
	Shri Amarnath Kesari	Joint Commissioner(P&V)	Hqrs.
2	श्री बी.जी.कृष्णन	उप आयुक्त(निवारक), (का.व सत.)	म्ख्यालय
	Shri B.G.Krishnan	Deputy Commissioner(Prev.), (P&V)	Hqrs.
3	श्री अश्विन जॉन जॉर्ज	सहायक आयुक्त	एर्णाकुलम -1 मंडल
	Shri Ashwin John George	Asst.Commissioner	Ernakulam –I Dvsn
4	श्रीमती सुनयना कृष्णन	सहायक आयुक्त (तकनीकी)	मुख्यालय
	Smt. Sunayana Krishnan	Asst.Commissioner(Technical)	Hqrs.
5	क्.पोन स्प्रिया	सहायक आयुक्त(समीक्षा व विधिक)	मुख्यालय
	Ms. Pon Supriya	Asst.Commissioner(Review & Legal)	Hqrs.
6	श्री कृष्नेंत् राजा मिनटू पी.एस.	सहायक आयुक्त(न्या.नि. व ले.परीक्षा)	म्ख्यालय
	Shri Krishnenthu Raja Mintoo P.S.	Asst.Commissioner(Adjn.& Audit)	Hqrs.
7	श्री राजशेखरन नायर वी.एम.	सहायक आयुक्त	कोट्टयम मण्डल
	Shri Rajshekharan Nair V.M.	Asst.Commissioner	Kottayam Dvsn
8	श्रीमती सुनिता पी.एल.	प्रशासनिक अधिकारी	म्ख्यालय
	Smt.Sunitha P.L.	Administrative Officer(H)	Hqrs.
9	श्री एन.वी.साज्	अधीक्षक	एणीक्लम -2 मंडल
	Shri N.V.Saju	Superintendent	Ernakulam –II Dvsr

10	श्री बेन्नी पी.जेकब	अधीक्षक(ई.डी.पी.)	मुख्यालय
	Shri Benny P.Jacob	Superintendent(E.D.P.)	Hqrs.
11	श्री साब् फिलिप	अधीक्षक(सतर्कता)	मुख्यालय
	Shri Sabu Philip	Superintendent(Vigilance)	Hqrs.
12	श्रीमती मिनी वी.के.	अधीक्षक(ई.डी.पी.)	मुख्यालय
	Smt Mini V.K.	Superintendent(E.D.P.)	Hqrs.
13	क्. ज्योति यादव	निरीक्षक	एर्णाकुलम -2 मंडल
	Ku.Jyoti Yadav	Inspector	Ernakulam –II Dvsn
14	श्री राकेश सांगवान	निरीक्षक	मुवाहुपुया मंडल
	Shri Rakesh Sangwan	Inspector	Muvattupuzha Dvsn
15	श्री बंटी कुमार	निरीक्षक	सेवा कर मंडल
	Shri Banti Kumar	Inspector	Service Tax Dvsn
16	श्रीमती रोसेलिंड जोस थॉमस कोरुत	कनिष्ठ अन्वादक	मुख्यालय
	Smt Rosalind Jose Thomas Koruthu	Junior Translator	Hqrs.

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आरंभ की ।
The Chairman welcomed all the members of the Committee and commenced the meeting.

I पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई /Action taken on the decisions of the last meeting.

a. _राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। Documents coming under section 3(3) of OL Act,1963 should be issued only in bilingual form:-

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात जैसे कि स्थापना आदेश, परिपत्र, अधिसूचनाएं, सूचनाएं आदि 'हिन्दी रूपांतर बाद में' लगाकर जारी होते हैं और एक प्रति हिन्दी अनुभाग में अनुवाद के लिए भेज देते हैं और उसे अनुवाद के बाद हिन्दी अनुभाग वापस कर देता है ।अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाएं।

इस विषय पर कनिष्ठ अनुवादक ने सुझाव दिया कि समान विषयों और समान शब्द से युक्त सामान्य आदेश (जैसे स्थानांतरण और तैनाती, पदोन्नित आदि) द्विभाषी रूप में स्वरूपित किए जा सकते हैं और स्थापना अनुभाग के कंप्यूटर में लोड किए जा सकते हैं ताकि अनुभाग द्वारा ही द्विभाषी आदेश जारी किए जा सकें। उसी प्रकार सभी व्यापार सूचनाओं के लिए एक द्विभाषी प्रेषण पत्र बनाकर तकनीकी अनुभाग के कंप्यूटर लोड किए जा सकता है ताकि अनुभाग द्वारा ही द्विभाषी व्यापार सूचना जारी की जा सकें। अध्यक्ष महोदय ने सुझाव पर सहमत हो गए।

The documents coming under section 3(3) of OL Act,1963 like establishment orders, circulars, notifications, notices etc were issued with 'Hindi version follows' and one copy was sent to Hindi Section and the same was translated and given back by the Hindi Section. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too.

Regarding this the Junior Translator suggested that general orders with identical subjects and similar wordings (like transfer and posting, promotion etc) can be formatted in bilingual form and loaded in the establishment section computers so that bilingual orders can be issued by the section itself. In the same way a bilingual forwarding letter for all trade notices can be made and loaded in technical section

computers so that bilingual trade notices also can be issued from the section. The chairman agreed to the above suggestion.

कार्रवाई: प्रशासनिक अधिकारी(मु.), तकनीकी,न्यायनिर्णयन, सतर्कता के अधीक्षक, जन संपर्क अधिकारी, हिन्दी अनुवादक

Action :- AO(Hqrs.), Supdt.s of Technical sections, Adjn., Vigilance, PRO, JHT

b. नागरिक अधिकार पत्र - हिन्दी रूपांतर / Citizen Charter- Hindi version :-

समिति को सूचित किया गया कि नागरिक अधिकार पत्र के हिन्दी रूपांतर कार्यालय वैबसाइट में उपलब्ध है।

The Committee was informed that the Hindi version of the Citizen charter is available in the office website.

c. कैरली पत्रिका का प्रकाशन/ Publication of Kairali Magazine :-

समिति को सूचित किया गया कि हिन्दी के प्रचार हेतु तथा विभागीय पत्रिका कैरली के लिए प्रकाशन योग्य सामग्री मांगने के लिए दिनांक 19.01.2017 को एक बैठक बुलाई गई थी और परिणाम स्वरूप कई रचनाएं प्रकाशन हेतु प्राप्त हुई हैं। कैरली अप्रैल महीने में संपादित तथा छपी जाएगी।

The Committee was informed that a meeting was conducted on 19.01.2017 for the promotion of Hindi and to ask articles for the departmental magazine 'Kairali' and as a result many articles to publish were received. 'Kairali' will go for editing and printing in April,2017.

कार्रवाई :- राजभाषा हिन्दी अनुभाग/केयर टेकर, जन संपर्क अधिकारी एकक Action :- OL Hindi Section/Care taker, PRO Unit

d. हिन्दी समाचार पत्रिका की खरीद/ Purchase of Hindi Newspaper:-

समिति को सूचित किया गया कि कार्यालय में समाचार पत्र डालने वाले एजेंट से बात की थी, लेकिनसमय पर पत्र की अनुपलब्धता के कारण वे हिन्दी समाचार पत्र डालने के लिए तैयार नहीं है, अब अन्य एजेंटों से तूरंत संपर्क किया जाएगा।

The Committee was informed that the agent who supplies newspaper in the office was contacted, but he is not ready to supply Hindi newspaper due to non-availability of the paper on time, now other agents also will be contacted soon.

कार्रवाई :- राजभाषा हिन्दी अनुभाग/केयर टेकर, जन संपर्क अधिकारी एकक Action :- OL Hindi Section/Care taker, PRO Unit

e. बोर्ड पर हिन्दी शब्दों का प्रदर्शन/ Purchase Display of Hindi Words on Board:-

समिति को सूचित किया गया कि भवन में नवीनीकरण का काम चल रहा है, काम पूरा होने पर सभी मंजिलों में रखे सभी बोर्डों के पुनः संरेखण के बाद हिन्दी शब्द के प्रदर्शन हेतु बोर्ड रखा जाएगा । अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि सभी मंजिलों पर हिन्दी बोर्ड रखा जाएगा और अलग अलग शब्द हर एक मंजिल पर लिखा जाएगा ।

The Committee was informed that renovation work is going on at Headquarters Building and after the completion of the work, boards for Hindi words will be after a re-alignment of all the boards kept in all floors of the building. The Chairman added that boards for the display of Hindi words will be kept in all floors of the building and different words will be written in each floor.

कार्रवाई :- राजभाषा हिन्दी अनुभाग/केयर टेकर, जन संपर्क अधिकारी एकक Action :- OL Hindi Section/Care taker, PRO Unit f. कार्यालय वैबसाइट का 100% द्विभाषीकरण /100% bilingualisation of Office Website.

समिति को सूचित किया गया कि पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया सुझाव के आधार पर शुरुआत की तौर पर सभी आदेशों को हिन्दी में वैबसाइट में डालने का काम जारी है।

The Committee was informed that as per the suggestion given by the Chairman in the previous meeting uploading work of the Hindi version of all orders as a beginning is going on.

कार्रवाई:- राजभाषा हिन्दी अन्भाग

Action :- OL Hindi Section

g. रिक्त हिन्दी पदों को भरना/Filling vacant Hindi Posts:-

समिति को सूचित किया गया कि इस क्षेत्र में रिक्त दो हिन्दी पदों को, यानि एक कनिष्ठ अनुवादक और एक सहायक निदेशक (राजभाषा), भरने के लिए मानव संसाधन विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली को दिनांक 23.03.2017 को पत्र भेजा गया है।

The Committee was informed that a letter regarding the filling of two vacant Hindi posts i.e., one Junior Translator and one Assistant Director (O.L.) in the zone was sent to DG HRD, New Delhi on 23.03.2017.

h. फ़ाइलों में 30% हिन्दी टिप्पणियां तथा द्विभाषी पत्र शीर्ष /30% noting on files & bilingual letterhead:-

समिति को सूचित किया गया कि इस तिमाही में हिन्दी अनुवादक द्वारा सभी अनुभागों और मंडलों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से अनुरोध किया कि हर माह हर फ़ाइल में कम से कम 3 टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखें तािक 30% का लक्ष्य प्राप्त कर सके । निरीक्षण के दौरान उसने यह भी पाया कि अधिकतम रेंज कार्यालयों में द्विभाषी पत्र शीर्ष का उपयोग नहीं हो रहा है । उस पर अध्यक्षा ने कहा कि शीघ्र ही उनके हस्ताक्षर पर रेंज स्टार पर द्विभाषी पत्र शीर्ष का प्रयोग संबन्धित एक पत्र जारी करना है ।

The Committee was informed that all the sections and divisions were inspected by the Hindi Translator in the quarter and while inspecting each section and division she made a request to all the officers to write at least 3 notes in Hindi in each file so that 30% target may be achieved. During the inspection she also found out that majority range offices are not using bilingual letterheads, To this the Chairman directed that a letter regarding the usage of bilingual letter heads in range level may be issued with his signature immediately.

कार्रवाई :- सभी अनुभाग,मंडल,रेंज

Action: - All Sections, Divisions, Ranges

i. हिन्दी प्रशिक्षण कक्षाएं /Hindi Training classes:-

समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 07.02.2017 एवं 08.02.2017 को मुख्यालय में राजभाषा नीति एवं प्रयोजन मूलक हिन्दी पर दो दिन की कार्यशाला चलायी गई तथा उक्त कार्यशाला में 19 अधिकारी भाग लिए।

The Committee was informed that a two day workshop on Official Language Policy and Functional Hindi was conducted at the Hqrs. Office on 07.02.2017 and 08.02.2017 and 19 officers attended the above workshop.

j. हिन्दी पुस्तकों की खरीद /Purchase of Hindi Books:-

समिति को सूचित किया गया कि हिन्दी पुस्तकालय के लिए 44 नई पुस्तकें खरीदी गई हैं तथा उक्त पुस्तकों की सूची शीघ्र ही कार्यालय वैबसाइट में अपलोड की जाएगी । The Committee was informed that 44 new books were purchased for the Hindi Library and the list of the above books will be published in the office website soon.

कार्रवाई:- राजभाषा हिन्दी अनुभाग

Action :- OL Hindi Section

II हिन्दी पत्राचार की प्रतिशतता पर समीक्षा /

Review of the percentage of the Hindi Correspondence:-

समिति को तीनों क्षेत्रों में जाने वाले हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता सूचित की गई। वह इस प्रकार है:- यथाक्रम दिनांक 31.12.2016,31.03.2017 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में क -49.01%-47.6%,ख-50%-65%,ग -47.2%-46.4% । हिन्दी अनुवादक ने कहा कि ऑनलाइन रिपोर्ट प्रतिशतता कम होने का एक कारण है । अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि मुख्य आयुक्त कार्यालय से क्षेत्र "क" में बोर्ड को जाने वाले नेमी पत्रों का द्विभाषी रूप बनाकर प्रयोग में लाया जाएँ ताकि प्रतिशतता बढ़ सके । उप आयुक्त (निवारक) ने सुझाव दिया कि द्विभाषी ए.ई.-2 फ़ारमैट से संबन्धित एक पत्र को भी द्विभाषी बना सकता है।

The Committee was informed percentage of Hindi correspondence to three regions:-It is as follows: - A-49.01%-47.6%, B-50%-65%, C-47.2%-46.4% for the quarters ending on 31.12.2016,31.03.2017 respectively. Hindi Translator said that online reports is a reason for the decrease in percentage. The Chairman directed that the routine letters sent to the Board in region 'A' may be made into bilingual form and may be used so that percentage can be increased. Deputy Commissioner suggested that letter related to the bilingual A.E.-II format may also be made into bilingual form.

कार्रवाई :- सभी अनुभाग

Action: - All Sections

- III सदस्यों से सुझाव /Suggestions from the members
 - 1. सतर्कता अधीक्षक ने सुझाव दिया कि हिन्दी के प्रचार हेतु हिन्दी फिल्में दिखाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि हिन्दी पुस्तकालय के लिए कुछ अच्छी हिन्दी फिल्मों की सी.डी. यां खरीदनी चाहिए ताकि अधिकारी उन्हें पुस्तकालय से उधार ले सकते हैं और घर जाकर आराम से देख सकते हैं।

Supdt. Vigilance suggested that Hindi movies may be shown to promote Hindi. The Chairman directed that a set of CDs of some good Hindi movies may be purchased for the Hindi Library so that officers can borrow it and watch it at home.

सदस्यों से अन्य कोई सुझाव न होने पर अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक पूर्वाहन 11.30 बजे समाप्त हुई ।

As no further suggestions came from the members the meeting ended at 11.30 am with vote of thanks to the chair.

(बी.जी.कृष्णन/ B.G.KRISHNAN)

उप आयुक्त(का.व सत.)/DEPUTY COMMISSIONER(P&V)